



M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

Panchanan, 3<sup>rd</sup> Floor, Malviya Nagar, Bhopal-462 003  
Phone: 2551807/2551652/2551756/2556857; FAX 2557305

Email: mpagrohbpl@gmail.com

CIN No U01119MP19695GC001055

मुख्या/उद्यान/2017-18/6763.

भोपाल, दिनांक 5 मार्च 2018

## Corrigendum

दैनिक भास्कर एवं दैनिक पत्रिका समाचार पत्रों में दिनांक 24 फरवरी 2018 को प्रकाशित की गई रेट कान्ट्रेक्ट आफर सूचना (मुख्यालय पत्र क्रमांक आर सी ओ/उद्यान/2017-18 6551 भोपाल दिनांक 23.2.2018) के क्रम में रेट कान्ट्रेक्ट आफर में निम्नानुसार संशोधन किये जाते हैं :

1. ऐसे आफरकर्ता जिनकी उपरोक्त बीजों की दरें निगम द्वारा वर्ष 2017-18 एवं आगे के लिये अनुमोदित की गई है तथा दिनांक 6.7.2018 तक लागू है, ऐसी दरें दिनांक 6.7.2018 अथवा आगामी अनुमोदन, जो भी बाद में हो, तक के लिये मान्य रहेंगी।

2. दिनांक 7.7.2018 के बाद लागू होने वाली दरों को निगम द्वारा इस आर सी ओ के क्रम में पृथक से जारी किया जाएगा।

3. ऐसे आफरकर्ता जिनकी दरें उपरोक्त क्रमांक 1 के अन्तर्गत अनुमोदित है, उन्हें भी सभी बीजों के लिये पुनः दरें प्रस्तुत की जाना है जो 7.7.2018 के बाद जारी किये जाने वाले अनुमोदन के अनुसार प्रभावशील होगी।

4. आर सी ओ प्रपत्र के परिशिष्ट 2 की कंडिका 4 (ड) " संकर बीज - मक्का, धान ज्वार एवं बाजरा के प्रदाय हेतु संकल्प धन राशि एवं अन्य तकनीकी विवरण - नियत तिथि 20 मार्च 2018 के स्थान पर **13 मार्च 2018 अपरान्ह 2 बजे संशोधित की जाती है।**


5. आर सी ओ प्रपत्र के परिशिष्ट 2 की कंडिका 11 " रेट कान्ट्रेक्ट आफर जो दिनांक 13 मार्च 2018 तक वेबसाईट पर अपलोड किये जा सकेंगे तथा जिनकी हार्ड प्रति निगम मुख्यालय में रखे बाक्स में 20 मार्च 2018 अपरान्ह 2.00 बजे तक प्राप्त होंगी, में **20 मार्च 2018 के स्थान पर 13 मार्च 2018 संशोधित की जाती है।**

इसी कंडिका में लेखित " उनके मनोनीत प्रतिनिधियों के समक्ष **दिनांक मार्च 2018 अपरान्ह 3.30 बजे समिति द्वारा किया जाएगा " में संशोधन कर " दिनांक 21 मार्च 2018 " प्रतिस्थापित किया जाता है।**

6. आर सी ओ प्रपत्र के परिशिष्ट 2 की कंडिका 14 (स) " अनुमोदित दरें tkjh " को अनुमोदित दरें जारी पढ़ा जाए।

7. आर सी ओ प्रपत्र के परिशिष्ट 8 में वित्तीय आफर अन्तर्गत लेखित " रेट कान्ट्रेक्ट आफर की हार्ड प्रति निर्धारित समय दिनांक 15 मार्च 2018 अपरान्ह 2 बजे तक तक प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में ऐसे प्राप्त आफर्स पर विचार नहीं किया जावेगा " में दिनांक 15 मार्च 2018 को संशोधित कर दिनांक 13 मार्च 2018 अपरान्ह 2 बजे निर्धारित किया जाता है।

आर सी ओ की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

  
महाप्रबंधक (उद्यान)